उत्तर प्रदेश शासन

वन एवं वन्य जीव अनुभाग-2

संख्या-83/14-2-16-4(6)/2015

लखनऊ, दिनांक 17 मार्च, 2016

अधिसूचना

भारतीय वन अधिनियम, 1927 (अधिनियम संख्या-16, सन 1927) की धारा-4 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके, राज्यपाल उक्त अधिनियम की धारा-4 के अधीन अधिसूचित जिला अमेठी के सभी क्षेत्रो के लिए अतिरिक्त मजिस्ट्रेट/डिप्टीकलेक्टर, कलेक्ट्रेट, जिला अमेठी को इस अधिसूचना के गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से पदेन वन बन्दोबस्त अधिकारी के रूप में नियुक्त करते हैं।

आज्ञा से,

(संजीव सरन)
प्रमुख सचिव।

shasanadesh.up.nic.in/so/intra